

पत्र सं० ६९४ / वनभूमि

दिनांक- ३१/३/२०२१

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :- राज्या योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा में डुण्डा-कुराह मोटर मार्ग से जखारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.३० है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बंध में (FP/UK/ROAD/ 50432/2020)

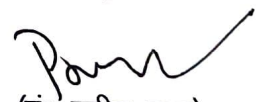
सन्दर्भ :- आपका पत्रांक ३५८७/१२-१ कोटबंगला दिनांक २६/०३/२०२०
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ऑन लाईन लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
१	२	३
१	विषयगत परियोजना का पुराना प्रस्ताव सं० (FP/UK/ROAD/ 28906/2017) का आनलइन पोर्टल से अभी तक withdraw नहीं किया गया है।	विषयगत परियोजना का पुराना प्रस्ताव सं० (FP/UK/ROAD/ 28906/2017) का आनलइन पोर्टल से withdraw कर दिया गया है।
	आप द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया क्षेत्र सिविल सोयम् भूमि चयन किया गया है। किन्तु ऑन लाईन पोर्टल पर नई क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन, एम०ओ०यू० सर्टिफिकेट तथा नॉन एनक्यूमरेंस सर्टिफिकेट ऑन लाईन पार्ट-१ में अपलोड नहीं किया गया है और नही हार्ड कॉपी इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है।	ऑन लाईन पोर्टल पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन, एम०ओ०यू० सर्टिफिकेट तथा नॉन एनक्यूमरेंस सर्टिफिकेट ऑन लाईन पार्ट-१ में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय



(इं० प्रवीन कुश)

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।